

293



न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक निगरानी / 2015-16 तिज / 3760-I-15

राजेश पुत्र अमोलसिंह राय उम्र 35 वर्ष
सरपंच ग्राम पंचायत बगुल्या जनपद
पंचायत अशोकनगर म0प्र0

.....निगरानीकर्ता

बनाम

म0प्र0 शासन की ओर से

- 1- तहसीलदार महोदय तहसील शाढौरा जिला अशोकनगर म0प्र0
- 2- संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) अशोकनगर म0प्र0
- 3- श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला अशोकनगर म0प्र0
- 4- श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला अशोकनगर म0प्र0

म0प्र0 भूराजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी

अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला अशोकनगर के राजस्व प्र0क0 01 अ 59/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 8.10.2015 के विरुद्ध एवं निरस्ती हेतु निगरानी

माननीय महोदय,

सेवा में निगरानी सादर निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

3

डा. राजेश राय
सरपंच
ग्राम पंचायत
बगुल्या

18.11.15

18.11.15
G.P. Nayal
Adv.

22.9.17

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग.3760-एक/2015

जिला-अशोकनगर

राजेश विरुद्ध म.प्र. शासन अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30.08.2019	<p>प्रकरण आज लिया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला-अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 01 अ 59/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 08.10.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू- राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27.07.2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25.09.2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा -54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 30.09.2019 को आयुक्त, ग्वालियर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p> <p>3</p> <p>(जे0के0 जैन) सदस्य</p>	